

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/1288

दिनांक:- 09-07-2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्रम संख्या | नाम कनिष्ठ लेखाकार (श्री/श्रीमति/सुश्री) | वर्तमान कार्यालय                   | नाम परीक्षा                                         | आयोजक संस्था                             |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.          | निहारिका सुथार                           | अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर | एम.ए. फाइनल (विषय-इकॉनॉमिक्स) (स्वयंपाठी) वर्ष 2025 | महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/1288

दिनांक:- 09-07-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सुश्री/श्रीमति निहारिका सुथार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर।

(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)